झारखंड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के आलोक में भारत गणतंत्र के 28वें राज्य – झारखंड राज्य के कृषि एवं गन्ना विकास विभाग से संबंधित सूचनाएं :–

क्र. सं.	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) बी की प्रासंगिक उप–धाराएं	अधिनियम/नियम/संकल्प/परिपत्र जिसके अन्तर्गत किए जाते है।	वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप कृषि एवं गन्ना विकास विभाग से संबंधित विषयवार विस्तृत सूचना
1	(i) संगठनों एवं इसके कार्यों तथा कर्तव्यों की विवरणी।	1. सचिवालय अनुदेश 2. कार्यपालिका नियमावली 3. बिहार एवं उड़िसा अवर सेवा अनुशासन एवं अपील नियमावली 4. बिहार एवं उड़िसा अवर सेवा आचार और अनुशासन नियमावली 5. बिहार/झारखंड सिविल सेवा (व र्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली) 6. लोक सेवक जांच अधिनियम 7. भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 8. सरकारी सेवक आचार नियमावली 9. बिहार/झारखंड बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 10. बिहार/झारखंड सेवा संहिता 11. बिहार/झारखंड बजट मेनुअल 12. कोषागार संहिता भाग I एवं II 13. वित्त नियमावली भाग I एवं II 14. पेंशन नियमावली 15. सामान्य भविष्य निधि नियमावली 16. बिहार/उड़िसा/झारखंड कृषि मेनुअल 17. बिहार/झारखंड फार्म मेनुअल 18. उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 19. बीज अधिनियम 20. कीटनासी नियंत्रण अधिनियम	झारखंड राज्य में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के अधीन अपने स्वयं के कई प्रशाखा के अतिरिक्त विभाग के अधीन सरकारी कार्यालय एवं स्वयतशासी निकाय का संगठानिक संरचना इस प्रकार के है :– 1. प्रशासी विभाग – कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची। 2. अधिनस्थ कार्यालय – विभागाध्यक्ष, कृषि निदेशक, झारखंड रांची 3. राज्य स्तरीय अन्य प्रशाखा –1) संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक माप एवं तौल, झारखंड, रांची (2) निदेशक भूमि संरक्षण, झारखंड, रांची (3) निदेशक उद्यान, झारखंड रांची, कोटि– I- शष्य (Agronomy), कोटि–II-कृषि अभियंत्रण(Agriculture Enginering), कोटि–III-कृषि रसायन (Agriculture chemistry) उक्त तीनों प्रभागीय कार्यालय के गठन के पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 4. सामान्य कृषि प्रमंडल –(क) (1) संयुक्त कृषि निदेशक,दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची (2) संयुक्त कृषि निदेशक,उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग (3) संयुक्त कृषि निदेशक,संस्थाल परगना परिक्षेत्र (ख) उप कृषि निदेशक, सामान्य एवं प्रक्षेत्र,दुमका। 5. सामान्य कृषि जिला –जिला कृषि पदाधिकारी, (1) रांची, (2) चाईबासा, (3) गुमला, (4) लोहरदगा, (5) पलामू ,(6) हजारीबाग, (7) धनबाद, (8) गिरिडीह, (9) दुमका (10) साहिबगंज। बाकी 12 राजस्व जिला के वर्तमान कृषि जिला का गठन नही है जिसमें अनुमंडल कृषि पदाधिकारी क्रियाशील है। (1) जमशेदपुर, (2) सराईकेला, (3) सिमडेगा, (4) गोड्डा, (5) लातेहार, (6) चतरा, (7) कोडरमा, (8) चास (बोकारो), (9) देवघर (10) जामताड़ा (11) पांकूड, (12) गोड्डा।

		21. शीतगृह अधिनियम 22. माप तौल अधिनियम 23. भूमि संरक्षण एवं जल संचयन नियमावली 24. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 25. कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 26. झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद अधिनियम 27. समेति, आतमा नियम परिनियम 28. राष्ट्रीय/राज्य बागवानी मिशन नियम परिनियम तथा समय–समय पर राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा अपनायी गयी नियम नियम, संकल्प, परिपत्र, विधायी एवं नियंत्रण की अधिन नीति, नियम प्रकिया का प्रावधान, आदेश एवं अनुदेश के अन्तर्गत कार्य संपादित किया जाता है।	6. सामान्य कृषि अवर प्रमंडल – (1) जमशेदपूर, (2) चाईबासा, (3) चक्रधरपुर, (4) सरायकेला (5) सिमडेगा (6) खुंटी (7) रांची (8) पलामू (9) गढ़वा (10) लातेहार (11) चतरा (12) कोडरमा (13) हजारीबाग (14) चास (बोकारो) (15) बेरमो (16) धनबाद (17) गिरीडीह (18) देवघर (19) जामताड़ा (20) गोड्डा (21) पांकूड़ (22) दुमका (23) सहिबगंज (24) गुमला 7. प्रखंड स्तरीय : प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जनसेवक, सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी, (क) भूमि संरक्षण पदाधिकारी (क) उप निदेशक, भूमि संरक्षण, रांची, हजारीबाग। 8. भूमि संरक्षण प्रभाग जिला :–(1) जमशेदपुर, (2) चाईबासा (3) रांची (4) गुमला (5) गढ़वा (6) पलामू (7) देवघर 9. पौधा संरक्षण प्रभाग जिला : कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी (1) चाईबासा (2) रांची (3) पलामू (4) हजारीबाग (5) धनबाद (6) गिरीडीह (7) दुमका 10. उद्यान प्रभाग – उप निदेशक उद्यान, रांची, जिला उद्यान पदाधिकारी (1) जमशेदपुर (2) रांची (3) गुमला (4) लोहरदगा (5) पलामू (6) हजारीबाग (7) धनबाद (8) गिरीडीह (9) देवघर (10) दुमका (11) गोड्डा (12) साहिबगंज (13) चाईबासा। 11. माप एवं तौल प्रभागीय जिला : सहायक नियंत्रण माप एवं तौल (1) रांची (2) पलामू (3) हजारीबाग (4) धनबाद (5) गिरीडीह (6) दुमका (7) चाईबासा बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला (1) जमशेदपुर (2) रांची (3) दुमका (4) साहेबगंज मिट्टी जांच प्रयोगशाला (1) चक्रधरपुर (2) रांची (3) गुमला (4) लातेहार (5) गिरीडीह (6) दुमका (7) साहेबगंज उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, रांची ईंख प्रभागीय : सहायक निदेशक ईंख, रांची, हजारीबाग, दुमका, साहेबगंज, ईंख प्रसार पदाधिकारी प्रखंड एवं अनुमंडलीय स्तरीय

			प्रशिक्षण संस्थान : प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, रांची, किसान विद्यापीठ, दुमका इस प्रशिक्षण संस्थान में किसान, कृषि पदाधिकारी नवनियुक्त जनसेवक एवं सेवारत जनेसवक को प्रशिक्षण दिया जाता है। किसान विद्यापीठ दुमका वर्तमान क्रियाशील नही है। भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र डेमोटांड (हजारीबाग) – इस प्रशिक्षण संस्थान में किसानों एवं सेवारत राजपत्रित एवं अराजपत्रित भूमि संरक्षण क्षेत्र कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राजकीय कृषि प्रक्षेत्र में कई वर्गीकरण है जिला कृषि प्रक्षेत्र, अनुमंडलीय कृषि प्रक्षेत्र, बीजगुणन कृषि प्रक्षेत्र, उद्यान नर्सरी है। इन प्रक्षेत्रों में एक जिला कृषि प्रक्षेत्र नेतरहाट भी है। उक्त प्रक्षेत्र में बीज, सब्जी, फल उत्पादन के साथ–साथ अंडा, मीट, दुध, घी, खोवा आदि के उत्पादन के लिए मुर्गा मुर्गी एवं गाय का पालन किया जाता है। बाकि कृषि प्रक्षेत्रों में राज्य के किसानों को प्रमाणित बीज एवं पौधा उपलब्ध कराने के लिए बीज एवं पौधा उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार कृषि एवं गन्ना विकास विभाग गांव से लेकर राज्य मुख्यालय स्तर तक जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर किसानों को कृषि एवं संबंध कार्य के लिए मार्गदर्शन परामर्श के साथ–साथ निशुल्क एवं अनुदानित दर पर बीज पौधा एवं कृषि यंत्र आदि का वितरण के लिए जनसेवक, पौधा संरक्षक पर्यवेक्षक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सहायक भूमि संरक्षक पदाधिकारी क्रियाशील है। अनुमंडल स्तर पर किसानों के कृषि कार्य हेतु सुविधा जानकारी बीज उत्पादन वितरण उपचार बीज के साथ फल, फूल, पौधा का उत्पादन उपचार एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग तथा प्रखंड स्तर राजकर्मियों के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी भूमि संरक्षण पदाधिकारी अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी साथ–साथ व्यापारियों के व्यापार में उपयोग तौल संबंधी उपकरणों की अनुज्ञप्ति, जांच एवं शील के लिए माप तौल निरीक्षक, ईंख उत्पादन के लिए ईंख प्रसार कार्यकर्ता क्रियाशील है।

			जिला स्तर पर जिला कृषि विकास कार्य, कृषि प्रशासन जिला स्तरीय उर्वरक बीज एवं कीटनासी दवा के क्रय विक्रय के भंडारण के लिए जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति पत्र दिया जाता है। भूमि सरक्षण संबंधी कार्य के लिए भूमि संरक्षण अनुभाग, मिटटी जांच के लिए मिटटी जांच प्रयोगशाला, बीज परीक्षण के लिए बीज परीक्षण प्रयोगशाला, उद्यान एवं बागवानी के लिए जिला उद्यान पदाधिकारी, कृषि यांत्रीकरण एवं लधु निमार्ण कार्य के लिये उप निदेशक अभियंत्रण कृषि क्षेत्र में रोग व्याधि उपचार एवं नियंत्रण के लिए कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी व्यापारियों के व्यापार में उपयोग तौल संबंधित उपकरण पर जांच एवं अनुज्ञप्ति के लिए मापतौल निरीक्षक एवं सहायक नियंत्रक माप एवं तौल, इख की खेती एवं उत्पादन के लिए संबंधित सहायक निदेशक ईख कियाशील है। प्रमंडलीय स्तर पर सामान्य कृषि विकास कार्य एवं कृषि प्रशासन के लिए संयुक्त कृषि निदेशक क्रियाशील है। इनके द्वारा अपने प्रमडल में कृषि विकास कार्य के साथ साथ कृषि विकास कार्य के प्रगति के लिए किसानों के साथ साथ अपने अधिनस्थ पदाधिकारी को मार्गदर्शन नियंत्रण एवं भ्रमण एवं प्रमंडलीय स्तर पर बीज उर्वरक एवं कीटनासी दवा आदि के क्रय विक्रय एवं भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाता है। उप निदेशक पौधा संरक्षण एवं सहायक कृषि निदेशक पौधा संरक्षण कृषि कार्य, सब्जी, फल, फूल आदि के उत्पादन कार्य में रोग व्याधि के उपचार एवं नियंत्रण के लिए उपाय एवं सुझाव के साथ साथ अपने अधिनस्थ कर्मियों को मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में क्रिया शील रहते है। उप निदेशक उद्यान एवं सहायक निदेशक उद्यान बागवानी, सब्जी, फल एवं फूल आदि विकास कार्य में योजनाओं का तैयारी, योजनाओं का कार्यान्वयन, उत्पादन आदि कार्यक्रम में मार्गदर्शन के साथ साथ अधिनस्थ कर्मियों पर मार्गदर्शन एवं नियंत्रण शीत गृह की अनुज्ञप्ति के लिए कार्रवाई आदि पर कियाशील है। उप निदेशक भूमि संरक्षण, सहायक निदेशक भूमि संरक्षण (सर्वे) एवं जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी के द्वारा भूमि संरक्षण संबंधित योजनाओं की तैयारी, योजना का क्रियान्वयन के साथ–साथ अधीनस्थ कर्मियों पर मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के लिए क्रियाशील है। उप कृषि निदेशक अभियंत्रण द्वारा विभाग अंतर्गत कृषि यांत्रीकरण योजना एवं लधु निर्माण हेतु 10 लाख रूपये तक की तकनीकी स्वीकृति दी जाती है।

			उप निदेशक सह संयुक्त नियंत्रक माप एवं तौल तथा सहायक कृषि निदेशक सह उपनियंत्रक माप एवं तौल इस प्रभाग के स्तर से संबंधित व्यापारियों के व्यापार में उपयोग तौल संबंधी उपकरणों का अनुज्ञप्ति जांच एवं शील आदि कार्यों के साथ साथ अपने कर्मियों पर मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में क्रियाशील रहते है। उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रांची – उक्त प्रयोगशाला के प्रभारी सहायक कृषि निदेशक उर्वरक गुण नियंत्रण है। इस प्रयोगशाला में रासायनिक उर्वरकों का जांच कार्य के लिए क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त विभाग के स्वयतशासी संस्था/निकाय है। (1) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची जिसके अधीन तीन संकाय क्रियाशील है। (1) कृषि (2) पशु चिकित्सा (3) वानिकी। इन तीनों संकायें तीनों विषयों पर शिक्षा अनुसंधान एवं उत्पादन कार्य में क्रियाशील है। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद – यह संस्था कृषि एवं कृषि से संबद्ध उत्पादित वस्तु के विक्री के लिए हाट बाजार शेड सड़क आदि निर्माण आदि की व्यवस्था तथा संबंधित व्यापारियों की अनुज्ञप्ति के क्रियाकलापों में क्रियाशील है। समिति/आतमा – यह संस्था के द्वारा राज्य के किसानों एवं कृषि पदाधिकारियों को विभिन्न संस्था राज्य के भीतर एवं बाहर में विभिन्न संस्था एवं वैज्ञानिकों के माध्यम से आधुनिक कृषि तकनीकि एवं सुचना प्रौधोगिकी का प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्रियाशील है। किसान कॉल सेंटर – इस सेंटर में दूरभाष संख्या 2230541 जो राज्य मुख्यालय रांची कृषि भवन परिसर कांके रोड रांची में अवस्थित है। जिससे किसानों के कृषि कार्य से संबंधित जानकारी दिये जाने की व्यवस्था तथा दूरभाष सं0–1551 टॉल फ्री है। राज्य बागवानी मिशन – उक्त संस्थान राज्य के उद्यान एवं बागवानी संबंधित विकास उत्पादन एवं वितरण आदि कार्य में राज्य के अप्रयुक्त भूमि पर बागवानी का विकास एवं किसानों को बागवानी कार्य में उत्पादन, वितरण, प्रशिक्षण सहायता संबंधित अग्रणी संस्था के माध्यम से दिए जाने के लिए क्रियाशील है। बीज प्रमाणन एजेसिंज – इस संस्था द्वारा बीजों के उत्पादन एवं उत्पादित बीजों के प्रमाणीकरण के लिए क्रियाशील है।

2	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियों तथा कर्तव्यों की विवरणी।	यथा कंडिका एक के कॉलम एक में वर्णित अनुदेश मेनुअल, नियम अधिनियम, संकल्प, परिपत्र एवं समय समय पर सरकारी प्रत्यायोजित शक्तियों एवं कर्तव्य के अधिन पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों द्वारा शक्तियों का उपयोग एवं कर्तव्यों का पालन किया जाता है। सचिवालय मुख्यालय स्तर में विभागीय प्रधान सचिव/सचिव द्वारा सचिवालय अनुदेश कार्यपालिका नियमावली एवं अन्य नियम मेनुअल तथा सरकार द्वारा निर्धारित समय समय पर शक्ति का प्रयोग के साथ विभाग में पदस्थापित पदाधिकारी, अपर कृषि आयुक्त, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव एवं विभागीय आंतरिक वितीय सलाहकार को विभागीय सचिव/प्रधान सचिव को अपने प्रदत शक्ति एवं कार्यों का समय समय पर प्राधिकृत/प्रत्यायोजित के अनुसार कार्यों का आवंटन समय समय पर निर्धारित किया जाता है। तदनुसार सभी शाखा एवं प्रशाखा में प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, लेखापाल, लेखा लिपिक, विपत्र लिपिक, टंकक एवं दिनचर्या लिपिक आदि को अपने पद, योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अपने अपने शक्तियों एवं आवंटित कार्य के अनुसार कर्तव्य संपादन किया जाता है।	सचिवालय मुख्यालय से अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कृषि निदेशक के स्तर से प्रखंड स्तर तक विभागीय संगठन के अनुसार कंडिका 1 के कॉलम 2 में दर्शाए गये विभागीय मेनुअल आदेश अनुदेश संकल्प तथा सरकारी सभी नियम परिनियम अधिनियम संकल्प परिपत्र में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शक्तियों एवं कर्तव्य परिभाषित है। निहित शक्ति एवं कर्तव्य में प्रावधानित एवं प्रक्रिया के अनुसार कार्यान्वित होता है। सचिवालय मुख्यालय के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कृषि निदेशक के स्तर से प्रखण्ड स्तर तक विभागीय संगठन के अनुसार कंडिका'–1 के कॉलम–2 में दर्शाए गये विभागीय मेनुअल, आदेश, अनुदेश संकल्प तथा सरकारी सभी नियम–परिनियम, अधिनियम, संकल्प, परिपत्र में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्त्तव्य परिभाषित हैं। प्रावधानित एवं प्रकिया के अनुसार निहित शक्ति एवं कर्त्तव्य का पालन किया जाता है। विभाग से संबंधित स्वयतशासी संगठन है (1) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम/परिनियम आदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निदेशित निदेश आदि के आलोक में तद्नुसार कियाशील है। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद–झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम,2000 एवं नियमावली में शक्ति एवं कर्तव्य परिभाषित है। उक्त नियम एवं अधिनियम तथा राज्य सरकार में निहित नियम के अनुसार कार्यान्वयन होता है। बीज प्रमाणन एजेंसी :– बीज प्रमाणन एजेंसी के अपने अधिनियम में शक्ति एवं कर्तव्य निहित है। उसी के अनुसार ही कार्यान्वयन होता है। समेति/आतमा/राज्य बागवानी मिशन – ये संस्थाएं में अपने अधिनियम में शक्ति एवं कर्तव्य निहित है। उसी के अनुसार ही कार्यान्वयन होता है।
3	पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारित करने की कडी में निर्णय लेने में अपनाई गयी प्रक्रिया।	यथा कंडिका एक के कॉलम एक में वर्णित सचिवालय मुख्यालय स्तर में सचिवालय अनुदेश, कार्यपालिका नियमावली, सेवा संहिता, कोषागार संहिता, वित्त नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, बजट मेनुअल, एवं विभागीय समय – समय पर प्राधिकृत एवं	मुख्यतः इस विभाग कृषि एवं कृषि से संबद्ध विकास के दृष्टिकोण में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के किसान, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के संबंधित व्यापारी एवं राज्य कर्मियों से संबंधित पंचायत स्तर से सचिवालय स्तर तक जुड़े हुए है। विषयवार विस्तृत सूचना कंडिका 1 के कॉलम 2 में दर्शाया गया है।

		प्रत्याजित कार्य आवंटन में प्रक्रिया निहित है। क्षेत्रिय स्तर में सेवा संहिता, कोषागार संहिता, वित नियमावली, बजट मेनुअल, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, बिहार/झारखंड प्रकीर्ण नियमावली, कृषि मेनुअल, फार्म मेनुअल वाट मेनुअल भूमि एवं जल संचयन मेनुअल, उर्वरक नियंत्रण अधिनियम, कीटनासी नियंत्रण अधिनियम, बीज अधिनियम, शीत गृह अधिनियम ईख अधिनियम आदि तथा समय समय पर निर्गत विभागीय एवं सरकारी संकल्प एवं परिपत्र आदि के अन्तर्गत। इसी प्रकार स्वयतशासी संगठन – कंडिका 2 के कॉलम 2 में दर्शाये गये सूचना के अनुसार है।	
4	कार्यो के निर्वहन के लिए निरूपित मानक	यथा कंडिका 1 के कॉलम 1 में दर्शाए गए विवरणी में प्रदर्शित है।	यथा कंडिका 1 के कॉलम 2 में दर्शाए गए विवरणी में प्रदर्शित है।
5.	विधि, उवविधि, नियम, विनियम, विनिर्देश, मेनुअल, तथा नियंत्रणाधीन अन्य प्रवर्ग के अभिलेख जो कर्मचारियों द्वारा कार्य के निर्वहन में उपयोग किए जाते है।	यथा कंडिका 1 के कॉलम 1 में दर्शाए गए विधि, उपविधि नियम, विनियम, विनिर्देश, मेनुअल, तथा नियंत्रणाधीन के आलोक में निहित के अनुसार प्रदर्शित है।	यथा कंडिका 1 के कॉलम 2 में दर्शाए गए विधि, उपविधि, नियम, विनियम, विनिर्देश, मेनुअल, तथा नियंत्रणाधीन के आलोक में निहित के अनुसार कार्यनिर्वाहन में उपयोग किए जाते है।

6	विभाग/नियंत्रणाधीन धारित अभिलेखों के श्रेणी की विवरणी।	सेवा संहिता, पेशंन नियमावली, कोषागार संहिता, वित नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, बजट मेनुअल, कृषि मेनुअल, फार्म मेनुअल, वाट मेनुअल, उर्वरक नियंतण अधिनियम, कीटनासी नियंत्रण अधिनियम, बीज अधिनियम आदि।	सचिवालय स्थित मुख्यालय में विषयवार वर्गीकरण के अनुसार संचिकाएं उपस्थित पंजी, गतिविधि पंजी, आगत पंजी, निर्गत पंजी, डाक टिकट लेखा पंजी, भंडार पंजी, गाड़ी लॉग बुक, सेवा पुस्त, बजट पंजी, रोस्टर पंजी, रोकड़ बही, बिल बही, आकस्मिक बही, कोषागार दुत बही, वेतन भरपाई पंजी, यात्रा भता पंजी, अभिश्रव गार्ड फाईल, आदि अभिलेख क्षेत्रिय कार्यालय एवं कृषि प्रक्षेत्रों में उपरोक्त के अतिरिक्त और भी कई अभिलेख संधारित है। जैसे मकान एवं भूमि का अभिलेख, पी.एल. लेखा का अभिलेख एवं कोषागार पास बुक, प्लस माइनस पंजी, चालान पंजी, रेमिटेंस पंजी, उपज पंजी, ओवरशीयर डायरी, मास्टर रोल, विक्री पंजी, रसीद बही, नगद पत्र, उधार पत्र, केटलफीड पंजी, लाईसेंस निर्गत पंजी आदि संधारित है। स्वयतशासी संगठन में इससे भिन्न कई अभिलेख संधारित होता है।
7.	विभाग की नीतियों अथवा प्रशासन के आम जनों से विचार–विमर्श अथवा उनके प्रतिनिधित्व की पूर्व से कोई व्यवस्था हो तो उसकी विवरणी	कृषि मेनुअल, फार्म मेनुअल, भूमि संरकण मेनुअल, माप तौल मेनुअल, बीज अधिनियम, कीटनासी नियंत्रण अधिनियम, उर्वरक नियंत्रण अधिनियम, शीत गृह अधिनियम, कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, बीज प्रमाणन नियमावली, कृषि विपणन परिषद अधिनियम, समेति, आतमा, राज्य बागवानी मिशन नियमावली	विभाग की कई नीतियां है जो अभी तक निर्धारित नही है जैसा कि कृषि नीति, कृषि प्रशासन नीति, कृषि तकनीकि नीति, कृषि शिक्षा नीति, कृषि उत्पादन एवं विपणन नीति विभाग की इन नीतियों एवं प्रशासन के आम जनों से विचार–विमर्श एवं प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, बैठक, पत्राचर, दैनिक समाचार पत्र, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किया जाता है।
8	विभाग को सलाह देने के उद्देश्य से गठित वैसे बोर्ड, पर्षद, समिति अथवा अन्य ऐसे निकाय जो दो या उससे अधिक व्यक्तियों से गटित हो की विवरणी। यदि ऐसे बोर्ड/ पर्षद/ समिति या अन्य निकाय जो आम जनों के लिए खुलें हो तो उनके हेतु बैठक की कार्यवाही	भूमि एवं जल संरक्षण नियमावली, बीज प्रमाणन नियमावली, कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, कृषि उपज बाजार अधिनियम, समेति, आतमा एवं राज्य बागवानी मिशन नियमावली	विभाग को सलाह देने के उद्देश्य से कृषि सुधार शोध आयोग का गठन किया गया है। विभाग के सलाह के लिए केवल सरकारी पदाधिकारी विभाग या कृषि सेवा के एवं आंतरिक वितीय सलाहकार का प्रावधान है। भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र डेमोटांड हजारीबाग में क्रिया कलापों के लिए एक परामर्शदातृ/समिति गठित है। वहां की कार्यवाही विभागीय है। विभाग के अधीन स्वयतशासी संस्था बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची वहां पर बोर्ड/समिति गठित है। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद वहां के लिए बोर्ड/समिति गठित है। समेति, आतमा एवं राज्य बागवानी मिशन के लिए अलग–अलग समिति गठित है। इसके बैठक की कार्यवाही आम जनों के लिए

	आमजनों की उपलब्ध है अथवा नही, की सूचना		उपलब्ध नही है।
9	पदाधिकारियों एवं कर्मियों की निर्देशिका	दूरभाष निर्देशिका	प्रकाशित दूरभाष निर्देशिका में पदाधिकारियों के बारे में समय समय पर पदस्थापन के अनुसार अंकित सूचना फेर बदल होते रहता है। वर्तमान विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी की आवासीय पता एवं दूरभाष निर्देशिका विहित प्रपत्र में तैयार कर संलग्न है।
10.	विभाग के प्रत्येक पदाधिकारीयों एवं कर्मियों को विनियम अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु व्यवस्था सहित प्राप्त मासिक पारिश्रमिक	भारत सरकार के नियम संकल्प, परिपत्र एवं राज्य सरकार नियम संकल्प, परिपत्र, सेवा संहिता नियमावली, कोषागार संहिता, वित नियमावली	विभाग में सेवारत सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने अपने कार्य संपादन हेतु ग्रेड के यथा विहित वेतन अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को भारत सरकार द्वारा विहित वेतनमान एवं निर्धारित अन्य भता के साथ साथ समय समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार से निर्गत आदेश तथा महालेखाकार के स्तर से निर्गत वेतनपर्ची के अनुसार पारिश्रमिक के रूप मासिक वेतन भता आदि का भुगतान होता है। राज्य सरकार के पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित /विहित ग्रेड वार कोटि वेतनमान निर्धारित अन्य भता के साथ साथ समय समय पर राज्य सरकार से निर्गत आदेश एवं राज्य पत्रित पदाधिकारीयों के लिए महालेखाकार एवं राज्य के वित विभाग से निर्गत वेतन पर्ची के अनुसार तथा अराजपत्रित कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ग्रेड/कोटीवार वेतनमान एवं स्वीकृत अन्य वेतन भता का पारिश्रमिक के रूप में मासिक वेतन भता आदि का भुगतान होता है। विभाग के अधीन स्वयतशासी संस्था में जो राजकीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के रूप में सेवारत है के सरकारी नियम के अनुसार वेतन भता आदि का भुगतान होता है। बाकि पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों जो सीधे स्वयतशासी संस्था में संस्था के स्तर से नियुक्त है उक्त संस्था के नियम परिनियम अधिनियम के अनुसार एवं राज्य सरकार के नियम के अन्तर्गत पारिश्रमिक के रूप में मासिक एवं दैनिक के रूप में भुगतान होता है। जैसा की बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान आयोग एवं राज्य सरकार के नियम एवं प्रावधान के अनुसार होता है। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के पदाधिकारीयों एवं कर्मियों के पारिश्रमिक के रूप में मासिक एवं दैनिक वेतन भता आदि का भुगतान परिषद के नियम के अनुसार होते रहता है। समेति, आत्मा और राज्य बागवानी मिशन – इन कर्मियों को मासिक एवं दैनिक पारिश्रमिक के रूप में मासिक एवं दैनिक भता आदि का भुगतान उनके पद, योग्यता, अनुभव आदि के आधार पर अनुबंध तथा संस्था द्वारा दर निर्धारित कर भुगतान किया जाता है।

11.	योजना, प्रस्तावित व्यय एवं व्ययन से संबंधित प्रतिवेदन दर्शाते हुए प्रत्येक एजेंसी को उपलब्ध कराया गया बजट उपबंध	सी.ओ.बी.टी./योजना उद्व्यय/ बजट उपबंध	प्रति पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक परियोजना के लिए योजना, प्रस्तावित व्यय, बजट उपबंध अलग अलग प्रावधानित है एवं व्यय प्रतिवेदन भी अलग अलग है। जिसका अनुसूचि अलग से संलग्न की गयी है।
12.	उपबंधित राशि एवं इस कार्यक्रम अन्तर्गत लाभान्वितों की विवरणी सहित अनुदान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की विधि	बजट उपबंध की सूचि एवं स्वीकृत योजना की राज्यादेश की सूचि अलग से संलग्न है।	योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभान्वितों के विवरण सहित अनुदान कार्यक्रम की कार्यान्वयन की विधि अलग सूचि में संलग्न की गयी है।
13.	विभाग द्वारा प्राधिकृत किए गए रियायत, अनुज्ञा पत्र (परिमिट) प्राप्त करने वालों की विवरणी।	1. वाट तौल, शीत गृह अधिनियम, बीज प्रमाणन अधिनियम, बीज अधिनियम, उर्वरक नियंत्रण अधिनियम, कीटनासी नियंत्रण अधिनियम।	माप–तौल का अनुज्ञप्ति पत्र– शीत गृह का अनुज्ञप्ति पत्र – बीज कय विकय का अनुज्ञप्ति पत्र– बीज उत्पादन का प्रमाणीकरण पत्र– उर्वरक निर्माता कय विकय एवं भंडारण का अनुज्ञप्ति पत्र– कीटनासी दवा का निर्माता कय विकय एवं भंडारण का अनुज्ञप्ति पत्र–
14.	विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक यप से उपलब्ध सूचनाओं की विवरणी।	इन्टरनेट, कम्प्यूटर	विभाग से संबंधित सूचनाएं सरकार के वेबसाईट, झारनेट/इन्टरनेट पर उपलब्ध करने की व्यवस्था की जा रही है।
15.	आमजनों की सूचना देने हेतु यदि कोई सुविधा उपलब्ध करायी गयी हो तो उसका विवरण। इस हेतु यदि काई आमजनों के उपयोग के निमित्त पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष कायम किया गया हो तो उसका विवरण।	इन्टरनेट, कम्प्यूटर, टेलिविजन, समाचार पत्र, प्रकाशित पंपलेट, किसान कॉल सेंटर, आकाशवानी, दूरदर्शन केन्द्र, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, रांची।	आवश्यकतानुसार आम जनों को सूचनाएं इंटरनेट कम्प्यूटर, टेलिविजन, समाचार पत्र, प्रकाशित पंपलेट, किसान कॉल सेंटर, आकाशवाणी, दूरदर्शन केन्द्र, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, रांची के माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध करायी जाती है। व्यक्तिगत सूचना के लिए पंचायत स्तर में जनसेवक, प्रखंड स्तर में प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक, सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी अनुमंडल जिला प्रमंडल एवं राज्य स्तर में निरीक्षक माप एवं तौल, पौधा संरक्षण निरीक्षक, सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी, ईख प्रसार कार्यकर्ता, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक बीज परिक्षण पदाधिकारी, सहायक मिटटी रसायनविद, जिला उद्यान पदाधिकारी, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, सहायक नियंत्रक माप

			एवं तौल, सहायक निदेशक, ईख, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, संयुक्त नियंत्रक माप एवं तौल, उप निदेशक पौधा संरक्षण, उप निदेशक भूमि संरक्षण, सहायक निदेशक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, रांची, उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, डेमोटांड, हजारीबाग, संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि निदेशक, पनन सचिव, सहायक निदेशक, उप निदेशक, प्रबंध निदेशक झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद, परियोजना निदेशक, आतमा, परियोजना निदेशक समेति, निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, झारखंड, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
16.	जनसूचना पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण	सूचना अधिकार अधिनियम 2005	1. प्रथम अपीलीय पदाधिकारी :– श्री ए0 के0 सरकार प्रधान सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड, रांची 2. जन सूचना पदाधिकारी श्री हंस राज सिंह सरकार के उप सचिव कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखंड रांची (कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड, रांची के कार्यालय आदेश संख्या 3021 दिनांक 21.12.2006) तथा अधिसूचना सं0–1/मु0स्था0 वि0– 01/05–251 दिनांक–6.2.07
17.	अन्य कोई सूचना, यदि कोई हो तो		अन्य सूचनाएं आवश्यकतानुसार बाद में दी जाएगी।

(ए॰के॰ सरकार)
सरकार के प्रधान सचिव
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
झारखंड रांची

ज्ञापांक : 1/कृ0 स्था0 वि0–01/05 /कृ0, रांची, दिनांक –

प्रतिलिपि : – प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,झारखंड/सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, झारखंड/अवर सचिव, झारखंड राज्य सूचना आयोग/सचिव के सचिव/माननीय मंती के आप्त सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए॰के॰ सरकार)
सरकार के प्रधान सचिव
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
झारखंड रांची